यान-हरण निवारण अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 30)

[13 मई, 2016]

**वायुयान के विधिविरुद्ध अभिग्रहण के दमन के लिए
कन्वेंशन को प्रभावी करने और उससे
संबंधित विषयों के लिए
अधिनियम**

वायुयान के विधिविरुद्ध अभिग्रहण के दमन के लिए कन्वेंशन पर 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षर किए गए थे;

और भारत ने, उक्त कन्वेंशन को मान लिया था तथा कन्वेंशन के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए-हरण निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का 65) अधिनियमित किया गया;

और भारत ने, 10 सितंबर, 2010 को बीजिंग में कन्वेंशन के अनुपूरक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सिविल विमानन के विरुद्ध नई प्रकार की धमकियों द्वारा विधिविरुद्ध कार्यों से संबंधित है, जिसके लिए उक्त अधिनियम में व्यापक संशोधन अपेक्षित हैं;

और यह समीचीन समझा गया है कि वायुयान के अभिग्रहण या उस पर नियंत्रण करने के विधिविरुद्ध कार्य जिससे व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा संकट में पड़ जाती है, अत्यधिक चिंता का विषय है, जिसका प्रभावी रूप से समाधान कन्वेंशन और प्रोटोकाल को प्रभावी करने के लिए तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए उपयुक्त उपबंध करके किया जाना है;

भारत गणराज्य के सड़सठवें में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षित नाम यान-हरण निवारण अधिनियम, 2016 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय यह उसके अधीन किसी भी ऐसे अपराध को लागू होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकरण" से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है, चाहे वह भारत में रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, जो सैनिक वायुयान अथवा सीमाशुल्क या पुलिस सेवा में प्रयुक्त वायुयान से भिन्न है;

(ग) "भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो तत्समय भारत में रजिस्ट्रीकृत है;

(घ) "कन्वेंशन देश" से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसमें तत्समय हेग कन्वेंशन प्रवृत्त है;

(ङ) "हेग कन्वेंशन" से वायुयानों के विधिविरुद्ध अभिग्रहण के दमन के लिए ऐसा कन्वेंशन अभिप्रेत है जिस पर 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षर किए गए थे और इसके अंतर्गत कन्वेंशन का अनुपूरक प्रोटोकाल भी है जिस पर 10 सितंबर, 2010 की बीजिंग में हस्ताक्षर किए गए थे;

(च) "बंधक व्यक्ति" से किसी वायुयान का कोई ऐसा यात्री या कर्मीदल का सदस्य या वायुयान का ऐसा कोई सुरक्षा कार्मिक या वायुयान के रखरखाव में लगा हुआ भूतलीय सहायक कर्मचारिवृंद अभिप्रेत है, जिसे किसी वायुयान के अभिवहन के दौरान या जब वह किसी विमानपत्तन पर आस्थित हो, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा की गई कोई मांग सुनिश्चित करने या किसी शर्त को पूरा करने के आशय से ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा विधिविरुद्ध रूप से बंदी बनाया जाता है या उसकी सहमति के बिना या उसकी सहमति से, जो कपट या विबाध्यता द्वारा अभिप्राप्त की गई है, निरुद्ध किया जाता है;

(छ) "सैनिक वायुयान" से किसी देश की नौसेना, थलसेना, वायुसेना या किन्हीं अन्य सशस्त्र बलों का वायुयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा वायुयान भी है, जो तत्समय ऐसे किसी बल के किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा समादेशित है जिसे उस प्रयोजन के लिए लगाया गया है;

(ज) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) "सुरक्षा कार्मिक" से विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कार्यों के विरुद्ध सिविल विमानन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अभिनियोजित या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा नियुक्त सुरक्षा कार्मिक अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कार्यों" से सिविल विमानन और वायु परिवहन की सुरक्षा को जोखिम में डालने के लिए कार्य या प्रयतित कार्य अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य भी हैं—

(i) उड़ानरत वायुयान का विधिविरुद्ध अभिग्रहण;

(ii) भूमि पर वायुयान का विधिविरुद्ध अभिग्रहण;

(iii) वायुयान पर या हवाई अड्डों पर बंधक बनाना;

(iv) किसी वायुयान पर या किसी हवाई अड्डे पर या किसी वैमानिक सुविधा के परिसर में बलात् घुसपैठ;

(v) किसी वायुयान पर या किसी हवाई अड्डे पर दांडिक प्रयोजनों के आशय से कोई आयुध, विस्फोटक या अन्य परिसंकटमय युक्ति, वस्तु या पदार्थ ले जाना;

(vi) किसी हवाई अड्डे पर या किसी सिविल विमानन सुविधा परिसर में उड़ानरत या भूमि पर किसी वायुयान की, यात्रियों, कर्मीदल, भूतलीय कार्मिक या जनसाधारण की सुरक्षा को जोखिम में डालने के उद्देश्य से मिथ्या सूचना की संसूचना ।

अध्याय 2

यान-हरण और संबद्ध अपराध

3. यान हरण—(1) जो कोई किसी सेवारत वायुयान का, विधिविरुद्धतया और साशय, बल या उसकी धमकी द्वारा या प्रपीड़न द्वारा या किसी अन्य प्रकार के अभित्रास द्वारा या किसी प्रौद्योगिकीय साधनों द्वारा अभिग्रहण करता है या उस पर नियंत्रण करता है, वह यान-हरण का अपराध करता है ।

(2) किसी व्यक्ति के बारे में भी यह समझा जाएगा कि उसने उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट यान-हरण का अपराध किया है, यदि ऐसा व्यक्ति,—

(क) ऐसे अपराध को करने की धमकी देता है या किसी व्यक्ति को विधिविरुद्धतया और साशय, ऐसी परिस्थितियों में जो यह उपदर्शित करती है कि धमकी विश्वसनीय है, ऐसी धमकी प्राप्त करवाता है; या

(ख) ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करता है या उसको करने का दुष्प्रेरण करता है; या

(ग) ऐसा अपराध या उपरोक्त खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध करने के लिए अन्य व्यक्तियों को संगठित या निदेशित करता है; या

(घ) ऐसे अपराध या उपरोक्त खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध में सह-अभियुक्त के रूप में भाग लेता है; या

(ङ) किसी अन्य व्यक्ति की, यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध या उपरोक्त खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराध किया है या ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा दांडिक अभियोजन के लिए वांछित है या उसे ऐसे किसी अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया है, अन्वेषण, अभियोजन या दंड से बचने के लिए विधिविरुद्धतया और साशय सहायता करता है ।

(3) कोई यात्री यान-हरण का भी अपराध करता है, जब निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों का, उपधारा (1) या उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध वस्तुत: किया जाता है या नहीं किया जाता है या उसका प्रयत्न किया जाता है या नहीं किया जाता है, साशय किया गया है :—

(क) उपधारा (1) या उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे अपराध को करने के लिए, जिसमें करार को अग्रसर करने में किसी एक सहभागी द्वारा किया गया कोई कार्य अंतर्वलित है, एक या अधिक व्यक्तियों की सहमति होना; या

(ख) सामान्य प्रयोजन के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा उपधारा (1) में या उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने के लिए किसी रीति से योगदान देना और ऐसा योगदान, —

(i) जहां ऐसे क्रियाकलाप या प्रयोजन में ऐसे अपराध का किया जाना अंतर्वलित है, वहां साधारण आपराधिक क्रियाकलाप या समूह के प्रयोजन को अग्रसर करने के अद्देश्य से दिया जाएगा; या

(ii) ऐसे अपराध को किए जाने के लिए समूह के आशय की जानकारी में दिया जाएगा ।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी वायुयान को, किसी विनिर्दिष्ट उड़ान के लिए भूतलीय कार्मिकों द्वारा या कर्मीदल द्वारा वायुयान की उड़ान पूर्व तैयारी के आरंभ से लेकर वायुयान के उतरने के पश्चात् चौबीस घंटे तक "सेवारत" समझा जाएगा और किसी वायुयान के विवश होकर उतरने की दशा में, उड़ान को तब तक जारी समझा जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी उस वायुयान की और उस पर के व्यक्तियों तथा संपत्ति की जिम्मेदारी नहीं संभाल लेते हैं ।

4. यान-हरण के लिए दंड—जो कोई यान-हरण का अपराध करेगा, वह—

(क) जहां ऐसे अपराध से किसी बंधक व्यक्ति की या किसी सुरक्षा कार्मिक की या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो अपराध में सम्मिलित नहीं है, यान-हरण के अपराध के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, वहां मृत्यु से दंडित किया जाएगा; या

(ख) ऐसे आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन का कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा,

और ऐसे व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्ति अधिकृत किए जाने के लिए भी दायी होगी ।

5. यान-हरण से संबद्ध हिंसा के कार्यों के लिए दंड—जो कोई ऐसा व्यक्ति होते हुए जो किसी वायुयान के हरण का अपराध कर रहा है, ऐसे अपराध के संबंध में ऐसे वायुयान के किसी यात्री या कर्मीदल के सदस्य के प्रति हिंसा का कोई कार्य करता है, उसे वही दंड दिया जाएगा जिससे वह भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तब दंडनीय होता जब ऐसा कार्य भारत में किया जाता ।

6. अन्वेषण आदि की शक्तियों का प्रदान किया जाना—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, उक्त संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या अभिकरण के किसी अधिकारी को, प्रदान कर सकेगी ।

(2) पुलिस के सभी अधिकारियों और सरकार के सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है और उन्हें इस बात के लिए सशक्त किया जाता है कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की सहायता करें ।

7. अधिकारिता—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां धारा 3 या धारा 5 के अधीन कोई अपराध भारत के बाहर किया गया है, वहां ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ उसकी बाबत वैसी ही कार्रवाई की जा सकेगी मानो ऐसा अपराध भारत में किसी ऐसे स्थान पर, जहां वह पाया जाए, किया गया है ।

(2) कोई भी न्यायालय धारा 3 या धारा 5 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का, जो भारत के बाहर किया गया है, संज्ञान नहीं करेगा, जब तक कि—

(क) ऐसा अपराध भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर नहीं किया जाता है;

(ख) ऐसा अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान के विरुद्ध या उस पर नहीं किया जाता है;

(ग) ऐसा अपराध किसी ऐसे वायुयान पर नहीं किया जाता है और ऐसा वायुयान जिसमें ऐसा अपराध किया गया है, भारत में अभिकथित अपराधी के साथ जो उस वायुयान में है, नहीं उतरता है;

(घ) ऐसा अपराध किसी ऐसे वायुयान के विरुद्ध या उस पर नहीं किया जाता है जो तत्समय ऐसे पट्टेदार को, बिना कर्मीदल के पट्टे पर दिया गया है, जिसका अपने कारबार का मुख्य स्थान या जहां उसका ऐसा कोई कारबार का स्थान नहीं है वहां उसका स्थायी निवास-स्थान भारत में है;

(ङ) ऐसा अपराध भारत के किसी नागरिक द्वारा या उसके विरुद्ध नहीं किया जाता है;

(च) ऐसा अपराध ऐसे किसी राज्यविहीन व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है जिसका प्रायिक निवास स्थान भारत के राज्यक्षेत्र में है;

(छ) ऐसा अपराध किसी अभिकथित अपराधी द्वारा नहीं किया जाता है जो भारत में उपस्थित है किंतु धारा 11 के अधीन प्रत्यर्पित नहीं किया गया है ।

8. अभिहित न्यायालय—(1) राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपाबंध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं किसी सेशन न्यायालय को अभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी, यथास्थिति, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 या धारा 22 के अधीन गठित विशेष न्यायालय, ऐसे मामले में जहां गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्ति धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रयोग की जाती है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित न्यायालय होगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित न्यायालय, यथासाध्य, दिन प्रतिदिन के आधार पर विचारण करेगा ।

9. अभिहित न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, —

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध धारा 8 में निर्दिष्ट अभिहित न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे;

(ख) जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है या जिसके द्वारा अपराध के किए जाने का संदेह है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, वहां वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध, जैसा वह ठीक समझे, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है वहां कुल मिलाकर तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए और जहां ऐसा मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वहां कुल मिलाकर सात दिन से अनधिक अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु, ऐसा मजिस्ट्रेट, —

(i) जब ऐसा व्यक्ति उसके पास पूर्वोक्त रीति से भेजा जाता है; या

(ii) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व किसी समय, यदि उसका विचार है कि ऐसे व्यक्ति का निरुद्ध रखना अपेक्षित नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को उस अभिहित न्यायालय को,

जिसे अधिकारिता है, भेजने का आदेश करेगा;

(ग) अभिहित न्यायालय, खंड (ख) के अधीन अपने पास भेजे गए व्यक्ति के संबंध में उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो वह मजिस्ट्रेट, जिसे मामले के विचारण की अधिकारिता है, ऐसे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 के अधीन अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, जो उस धारा के अधीन उसके पास भेजा गया है, प्रयोग करता;

(घ) अभिहित न्यायालय, अभिकरण द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट या इस निमित्त प्राधिकृत, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी परिवाद के परिशीलन पर उस अपराध का संज्ञान अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए जाने के बिना कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी जिससे अभियुक्त उसी विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन आरोपित किया जा सकता है, विचारण कर सकेगा ।

10. अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना—इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और अभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा ।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

11. प्रत्यर्पण के बारे में उपबंध—(1) धारा 3 और धारा 5 के अधीन अपराध प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में सम्मिलित किए गए और उन सभी प्रत्यर्पण संधियों में उपबंधित किए गए समझे जाएंगे जो भारत द्वारा कन्वेंशन देशों के साथ की गई हैं और जिनका विस्तार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, भारत पर है और जो भारत पर आबद्धकर हैं ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपराधों को प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) के लागू किए जाने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे वायुयान के बारे में, जो किसी कन्वेंशन देश में रजिस्ट्रीकृत है, किसी भी समय जब वह वायुयान सेवारत है, यह समझा जाएगा कि वह उस देश की अधिकारिता के भीतर है चाहे वह तत्समय किसी अन्य देश की अधिकारिता के भीतर भी हो या न हो ।

(3) धारा 3 में उल्लिखित किसी भी अपराध को प्रत्यर्पण या पारस्परिक विधिक सहायता के प्रयोजनों के लिए, राजनीतिक अपराध के रूप में या किसी राजनीतिक अपराध से संबद्ध अपराध के रूप में या राजनीतिक हेतुकों द्वारा प्रेरित अपराध के रूप में नहीं माना जाएगा और किसी ऐसे अपराध पर आधारित प्रत्यर्पण या पारस्परिक विधिक सहायता के लिए किसी अनुरोध को केवल इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाएगा कि उसका सरोकार, राजनीतिक अपराध या किसी राजनीतिक अपराध से संबद्ध अपराध या राजनीतिक हेतुकों द्वारा प्रेरित किसी अपराध से है ।

12. जमानत के बारे में उपबंध—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है तो, जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि—

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ख) जहां लोक अभियोजक ऐसे आवेदन का विरोध करता है वहां, अभिहित न्यायालय का यह समाधान न हो जाए कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उससे, जब कि वह जमानत पर है, कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बन्धन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बन्धन के अतिरिक्त है ।

(3) इस धारा की कोई बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 439 के अधीन जमानत के बारे में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।

13. कन्वेंशन के संविदाकारी पक्षकार—केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह प्रमाणित कर सकेगी कि हेग कन्वेंशन के संविदाकारी पक्षकार कौन-कौन हैं और उन्होंने कन्वेंशन के उपबंधों का किस विस्तार तक उपयोग किया है और ऐसी कोई भी अधिसूचना उसमें प्रमाणित विषयों के बारे में निश्चायक साक्ष्य होगी ।

14. कतिपय वायुयानों को कन्वेंशन देशों में रजिस्ट्रीकृत समझने की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी वायुयान के संबंध में उपधारा (2) की अपेक्षाओं की पूर्ति हो गई है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा वायुयान उस कन्वेंशन देश में रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) जहां कन्वेंशन देश, ऐसे संयुक्त वायु परिवहन संचालन संगठन या अंतरराष्ट्रीय संचालन अभिकरण स्थापित करते हैं, जो वायुयान चलाते हैं, जो संयुक्त या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के अधीन हैं, प्रत्येक वायुयान के लिए समुचित उपायों द्वारा स्वयं में से ऐसा देश अभिहित करेंगे जो अधिकारिता का प्रयोग करेगा और जो कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्री का देश पर होगा तथा वह अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन के महासचिव को उसकी सूचना देगा जो आगे सभी कन्वेंशन देशों को वह सूचना संसूचित करेगा ।

15. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

16. धारा 3 और धारा 5 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा—धारा 3 या धारा 5 के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में, यदि यह साबित कर दिया जाता है**,** कि, —

(क) अभियुक्त के कब्जे में से कोई आयुध, गोलाबारूद या विस्फोटक बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि इसी प्रकार के आयुध, गोलाबारूद या विस्फोटक ऐसे अपराध के किए जाने में उपयोग में लाए गए थे; या

(ख) ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में कर्मीदल या यात्रियों पर बल के प्रयोग, बल की धमकी या किसी अन्य प्रकार का अभित्रास दिए जाने का साक्ष्य है,

तो अभिहित न्यायालय जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है ।

17. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध नहीं होगी ।

18. अन्वेषण अधिकारी की संपत्ति अभिग्रहण या कुर्क करने की शक्ति—(1) जहां धारा 6 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को, कोई जांच या अन्वेषण करते समय यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति, जंगम या स्थावर या दोनों, ऐसे अपराध के किए जाने से संबंधित है जिसके सम्बन्ध में ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है, किसी ऐसी रीति से छिपाई, अंतरित या निपटाई जाने की संभावना है जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति के व्ययन में होगा वहां वह, ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करने के लिए कोई आदेश कर सकेगा और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है वहां वह, यह निदेश देते हुए कुर्की का आदेश कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति को ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय अंतरित या अन्यथा निपटान नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति संबद्ध व्यक्ति पर तामील की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक उक्त आदेश की, उसके किए जाने के अड़तालीलस घंटे की अवधि के भीतर अभिहित न्यायालय के किसी आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है ।

(3) अभिहित न्यायालय, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिग्रहण या कुर्क करने के आदेश की पुष्टि कर सकेगा और उसे प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अभिहित न्यायालय द्वारा आदेश के पुष्टिकरण के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किए गए कुर्की के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन आदेश के पुष्टिकरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश के प्रतिसंहरण के लिए अभिहित न्यायालय को आवेदन कर सकेगा ।

19. संपत्ति का अधिहरण और समपहरण—जहां अभिहित न्यायालय द्वारा धारा 4 के अधीन अभियुक्त की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों के अधिहरण के लिए कोई आदेश किया जाता है, वहां ऐसी संपत्ति सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार को समपहृत हो जाएगी:

परंतु अभिहित न्यायालय, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान यह आदेश कर सकेगा कि अभियुक्त की सभी संपत्तियां या संपत्तियों में से कोई संपत्ति जंगम या स्थावर या दोनों की कुर्की की जाए और यदि ऐसे विचारण के अंत में दोषसिद्धि की जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

20. नियम बनाने की साधारण शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

21. निरसन और व्यावृत्ति—(1) यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का 62) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) उक्त अधिनियम का निरसन,—

(क) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन, या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना या किया गया आदेश या जारी की गई सूचना या की गई कोई नियुक्ति, पुष्टिकरण या घोषणा या दिया गया कोई प्राधिकार या निष्पादित किया गया कोई दस्तावेज या लिखत या दिया गया कोई निदेश भी है और जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी;

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार या बाध्यता; या

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर,

प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, वैसे ही संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा तथा ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया हो ।

———